

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल - 462004
=====

क्रमांक- एफ 73- 62/20-3/2005
प्रति,

भोपाल, दिनांक - 28/6/05

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

विषय :- अशासकीय दृष्टि पब्लिक स्कूल सनवाद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
को सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु एन.ओ.सी.
देने बाबत ।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अशासकीय दृष्टि पब्लिक स्कूल सनवाद, जिला खरगोन
को सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनाभक्ति
प्रमाण पत्र विशेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयक परीक्षा को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।
02. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना होगा ।
03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।
04. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है । परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किसी खेल परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा ।

निरन्तर 2 पर.....

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

॥ आर. आर. अहिरवार ॥
अवर सचिव


म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

पृ. क्र. स्फ 73 - /20-3/200 भोपाल, दिनांक -

प्रतिनिधि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. सी.पी.ओ.।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - छरगोन, मध्यप्रदेश ।
3. प्राचार्य, अशा.सुदित पब्लिक स्कूल सनबाद, जिला छरगोन, म.प्र.

की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधोचित है ।


अवर सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

//मानकर//
30.12.04